दिनांक: 28-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के 02 अभियुक्तो को मात्र 06 घण्टो में किया गया गिरफ्तार, पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा हत्या में प्रयुक्त बांस के डण्डे के 03 टुकड़े (रक्त रंजित) व पेड़ो के टूटे/फटे डण्डे के करीब 10 टुकड़े बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2023 को वादी श्री विनोद कुमार पुत्र नकलीराम निवासी ग्राम सहसपुर जट थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की तहरीरी सूचना बावत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के पुत्र अजय कुमार उम्र करीब 19 वर्ष की लात घुसो, डंडो व लोहे की रोड से पीट-पीट कर हत्या कर देने व वादी के पुत्र के साथी सोएब तेली पुत्र इमरान तेली निवासी ग्राम सहसपुर जट थाना नकुड स0पुर द्वारा बचाने पर सोएब को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 318/23 धारा 147/ 148 / 506 / 302 / 34 भा0द0वि0 बनाम 1.अजय पुत्र विरेन्द्र 2. विशाल पुत्र अशोक शर्मा निवासीगण ग्राम नानूवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3.सूरज पुत्र रणवीर 4.शेखर पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 5.तनवीर सैनी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम भूरीबांस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ (विवेचक) मय फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल जंगल ग्राम साल्हापुर स्थित मास्टर अरूण नि0 सैदपुरा के आम के बाग का वादी मुकदमा श्री विनोद कुमार उपरोक्त व चश्मदीद गवाह सोएब उपरोक्त की निशांदेही पर बारीकी से निरीक्षण किया गया तो फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से घटना मे प्रयुक्त बांस के डण्डे के तीन टुकड़े जिन पर मृतक अजय के रक्त के निशान होने की सम्भावना है व पेड़ो के टूटे/फटे डण्डे के करीब 10 टुकड़े जिनको देखकर गवाह सोएब उपरोक्त ने बताया कि यह वही डण्डे हैं जिससे अभियुक्तगण ने मेरे दोस्त अजय के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिसकी वजह से मेरे दोस्त अजय की मृत्यु हो गयी व 1 दो ली0 कोका कोला की खाली बोतल, 1 एक ली0 KINLEY की बोतल खाली मय ढक्कन, 8 डिस्पोसल ग्लास खाली, 1 ACT 2 POPCORN का खाली रैपर, 1 चिप्स पोदीना फटा हुआ पैकेट आधा भरा हुआ, 1 CLASSIC BLUELEAF सिगरेट का खाली पैकेट, 1 खाली पन्नी सफेद रंग, मिट्टी सादा बरामद हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुकदमा उपरोक्त की घटना में संलिप्त अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये थे, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27/08/23 को मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 318/23 धारा 147/ 148 / 506 / 302 / 34 भा0द0वि0 में नामित व वांछित अभियुक्तगण- **1.अजय पुत्र विरेन्द्र 2. विशाल पुत्र अशोक शर्मा निवासीगण ग्राम नानूवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम अध्याना से आगे म्हाड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नही है। फरार अभियुक्तगण 1.सूरज पुत्र रणवीर 2.शेखर पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 3.तनवीर सैनी पुत्र नामालूम निवासी ग्राम भूरीबांस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की तलाश की जा रही है। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि मैं (अभि0 अजय) सतगुरु कालिज नकुड़ से बायोटैक कर रहा हूँ और मैं (अभि0 विशाल) शोभित यूनिवर्स्ट्री से पोलोटेक्निक कर रहा हूँ। अभियुक्त अजय पुत्र विरेन्द्र ने बताया कि अजय पुत्र विनोद नि0 सहसपुरजट्ट मेरी भतीजी को करीब एक डेढ साल से फोन करके परेशान कर रहा था तथा मेरी बहन को आते जाते

समय भी परेशान करता था। मैने उसे एक दो दिन पहले भी काफी समझाया था लेकिन वह नही माना । दिनांक 26.08.23 को शाम के समय अजय पुत्र विनोद अपने दोस्त सोऐब के साथ मो0 सा0 पर बैठकर नकुड आया, जिन्हे मैने (अभियुक्त अजय) बातो मे लेकर लारे लगाकर उसी मो0 सा0 पर बैठकर नकुड़ सरसावा रोड पर साल्हापुर के जंगल मे एक आम के बाग मे ले गया। वहाँ बाग मे मेरे साथी 1. विशाल पुत्र अशोक शर्मा निवासीगण ग्राम नानूवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 2.सूरज पुत्र रणवीर 3.शेखर पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बाधी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर 4.तनवीर सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी ग्राम भूरीबांस थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर भी हमारे पीछे पीछे बाग मे आ गये। बाग मे हमने पहले से ही लोहे की रोड व डण्डे छिपा कर रख रखे थे। वहाँ पर हम सभी ने कोल्ड्रिंक व चिप्स आदी खाये पिये फिर हमने अजय पुत्र विनोद का फोन लेकर रिसेट मार दिया था तथा शोएब का फोन व उसकी बुलैट मो0 सा0 की चाबी मेड़ पर रखवा दी थी, तथा उसको धमकी दी थी कि जरा भी हरकत की तो तुझे भी जान से मार देंगे। फोन रिसेट मारने के कारण अजय पुत्र विनोद मेरे ऊपर भड़क गया तो हम दोनो व हमारे साथियो ने रोड व डण्डे निकालकर अजय पुत्र विनोद को पीटना शुरू कर दिया, जब शोएब बीच मे बोला तो हमने उसे भी डरा धमका दिया था। जब हमारे डण्डे टूट गये तो हमने पेड़ो से डण्डे तोड़कर अजय पुत्र विनोद को तब तक मारा पीटा जब तक वह अधमरा नही हो गया, फिर हम सभी अजय पुत्र विनोद को अधमरा व सोएब को छोड़कर वहाँ से भाग गये। लोहे की राड को मेरा साथी सूरज पुत्र रणवीर अपने साथ ले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. अजय पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम नानूवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. विशाल पुत्र अशोक शर्मा निवासी ग्राम नानूवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

घटनास्थल से बरामदगी का विवरणः-

बांस के डण्डे के तीन टुकड़े व पेड़ो के टूटे/फटे डण्डे के करीब 10 टुकड़े

अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री राजकुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. है0का0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. का0 2179 पवन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक:28-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वान्छित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं **प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में** दिनाँक 28.08.23 को थाना बेहट पर पंजीकृत मु0अ0स0 59/23 धारा 323/325/326/452/506 भादवि के वान्छित अभियुक्त **रविन्द्र कुमार पुत्र धूम सिंह निवासी मुर्तजापुर कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर** को आज दिनाँक 28.08.23 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वांछित का नाम व पताः-

रविन्द्र कुमार पुत्र धूम सिंह निवासी मुर्तजापुर कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

2.व0उ0नि0 श्री मेहर सिह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

3. का0 2485 बादाम सिह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 28-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.23 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे दो वारण्टी अभियुक्तगण- 1. **मोहसीन पुत्र महफूज निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 2035/23 धारा 498ए/323/324/504/506 भादवि चालानी थाना बेहट न्या0 श्रीमान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर व अभियुक्त 2. **मतलूब पुत्र कालू नि0 ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0- 7868/22 धारा 379 भादवि व 4/10 वृक्ष अधि0 न्या0 श्रीमान न्यायधीश सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त वारण्टी का नाम व पता-

1. मोहसीन पुत्र महफूज निवासी ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मतलूब पुत्र कालू नि0 ग्राम शेखपुरा थाना बेहट जिला सहरनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 भारत सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3.का0 1441 अजीत नैन थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4.का0 2041 योगेश कुमार थाना बेहट जिला सहारनपुर

प्रेस नोट 28.08.23

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.08.23 को 01 वारन्टी अभि0 **विनोद पुत्र देशराज निवासी निकट शिव मन्दिर मौ0 गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या- 848/23 ,मु0अ0स0- 270/21 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना को0नगर स0पुर को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

विनोद पुत्र देशराज निवासी निकट शिव मन्दिर मौ0 गोपालनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

वाद संख्या- 848/23 ,मु0अ0स0- 270/21 धारा 420/406/504/506 भादवि थाना को0नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा थाना को0 नगर सहारनपुर
2. का0 1342 कपिल कुमार थाना को0 नगर सहारनपुर

प्रेस नोट 28.08.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 रिकवारी वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे वाँछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.08.23 को 01 रिकवारी वारण्टी अभि0 **चन्द्र चानना पुत्र गुलशन चानना उर्फ गुल्लू निवासी हाजी सराय बन्दरो वाला बाग थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 875/22 धारा 125(3) सीआरपीसी रिकवरी वारंट मा0 न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/ परिवार न्यायालय सहारनपुर मे वारन्टी चन्द्र चानना उपरोक्त के मसकन पर दबिश दी गई तो वारन्टी चन्द्र चानना उपरोक्त अपने मसकन पर मौजूद मिला । कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया । वारण्टी चन्द्र चानना उफरोक्त को रिकवरी धनराशि 1,77,000/- रुपये अदा करने के लिये कहा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पास पैसे नही है। पैसे अदा ना करने के फलस्वरुप मा0 न्यायालय के आदेशानुसार गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

चन्द्र चानना पुत्र गुलशन चानना उर्फ गुल्लू निवासी म0न0 386 हाजी सराय बन्दरो वाला बाग थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

आपराधिक इतिहास-

वाद सं0 875/22 धारा 125(3)सीआरपीसी थाना कोतवाली नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा को0नगर सहारनपुर
का0 1789 रामवीर सिह थाना को0नगर सहारनपुर

दिनांक: **28-08-2023**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार मे लिप्त अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त **आशू पुत्र रहीश निवासी मौ0 दाउद सराय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को कादरपुर रोड कस्बा बेहट से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-386/2023 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त आशू से पूछताछ की गयी तो आशू ने बताया कि हम 6 भाई बहन है और मै अनपढ हूँ तथा मजदूरी करता हूँ स्टाल लगाता हूं। तथा मुझे नशा करने की आदत है । मजदूरी से हमारे नशे की लत व परिवार का गुजारा नही हो पाता है इसलिए बाहर से सस्ते दामो मे स्मैक लाकर आस पास अधिक पैसो मे बैच देता हूँ जिससे मुझे पैसे भी मिल जाते है तथा स्मैक भी पीने को भी मिल जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशू पुत्र रहीश निवासी मौ0 दाउद सराय थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सतीश रौसा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
5. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 13 ग्राम अवैध स्मैक

दिनांकः 28-08-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी व जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव विशाल श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.28.23 को जिला बदर चल रहे अभियुक्त **सौरभ पुत्र श्याम लाल नि0 ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगाँव सहारनपुर** को ग्राम शिमलाना नहर कट से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त को मा0 न्यायालय समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सौरभ पुत्र श्याम लाल नि0 ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगाँव सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0193/22 धारा 323, 354(ख), 504, 506 भादवि व 7 / 8 पोक्सो एक्ट थाना बडगाँव स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल श्रीवास्तव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 ललित तोमर थाना बडगांव सहारनपुर।
3. है0का0 269 भगत सिंह थाना बडगांव सहारनपुर।